

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील में जारी
18/11/18	<p>पश्चिमी घेग डई) कडाची 11, 16 के कारिमान की तामिल होम प्रद्व हो चुकी है जो शक्ति परावली है। आवाज दिजाई गई कोई उप०। नही उभा। काट - काट आवाज दिजाई जाके के उपरान्त कोई उप० नही उभा जाके तामिल लम्पट दप के होना पारि जाती है। इतलिये कोई उपलब्ध नही होने के कारण इन्हे विमद एक पक्षीय कार्यवली कर्मल में लाई जाती है। पश्चिमी का कवलोमग रिपण गण। शक्ति पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट धोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज-6/2003/पार्ट 1 जयपुर दिनांक 10-8-2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व 2016/2619-44 दिनांक 16-8-2016 एवं राजस्व/16 4326-53 दिनांक 21-11-2016 की पालना में तदधीन दाट नीमकाथान डि होट ले आवागमन हेतु लावजनिष्ठ उपयोग में आ रहे रास्ते का राजस्व कमिसेल में कर बनाने हेतु राजस्व शुभ जोरधनपुरा की काषादी शक्ति ले लरी डई इति शक्तियों में जाने वाले रास्ते का राजस्व रिमांड में कर बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार काट भिगवाया गण है। तदधीनकार नीमकाथान ले शरत होने पर शक्ति पर दर्ज रजिस्टर रिपण गण एवं जरिये नोटिस कडाचीगण को तलब रिपण गण। कडाचीगण आवजूड तामिल कनु० रहने के कारण इन्हे विमद एक पक्षीय कार्यवली कर्मल में लाई गई। शक्ति प्रभय रिमांड का कवलोमग रिपण गण। तदधीनकार नीमकाथान द्वारा प्रस्तावित रास्ता लगभग 40 वर्षों ले चाखू बनया है। रास्ता मोडे पर चाखू है। इतलिये राजस्व रिमांड में उम्त रास्ते का कर बनाने हेतु कमिसेलित प्रस्ताव प्रप नम्या के भिगवाया गण है। इतलिये मुताबिक कमिसेलित प्रस्ताव के अनुसार शक्ति पर लीकार रिपण जाना उचित समझना है।</p> <p>आता राजस्थान 2- राजस्व अधिन 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू- राजस्व कमिसेलिय नियम 1957 के नियम 58, 59 60 व 66 के शवधानो के अनुसार तदधीनकार नीमकाथान के द्वारा अभिशंकित लंलंगन प्रस्तावनुसार राजस्व कमिसेलिय व नम्या ट्रेल में दर्ज आवेदारान की आवेदारी भूमि में ले प्रस्तावित राजस्व कमिसेलिय व नम्या ट्रेल में दर्ज आवेदारान की आवेदारी भूमि में ले प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिपा जाता है। दि लंलंगन प्रस्ताव व नम्या ट्रेल दि निम्न एका की इति भूमियो प्वाबत राजस्व कमिसेलिय में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथगु एका नम्बर</p>	<p>लत...</p> <p>कदमा</p>

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथान

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

झंमित करले इए राखे के रकबा की किलम गैर मुमकिन  
राख्ता दर्ज किया जावे एवं नम्ब्रे मे तरमीम की जावे। गैर  
मुमकिन राखे की भूमि लम्बेधित खातेदारान के खाले  
मे ही रहेगी एवं तहसीलदार नीमआघाना द्वारा भेजा गया  
प्रस्ताव व नम्बरा टैल इदेश का भाग रहेगा। तदनुसार  
राजस्व कमिलेख मे समस्त दरामुद् हेतु तहसीलदार  
नीमआघाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेरक  
श्रुता होरुत नम्बर ले कम होरुत शक्ति दप्तर हो।

जा

(जागडीश अलाद गौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमआघाना

